



आपराधिक अपील संख्या-01/2021
सीताराम बनाम राजस्थान राज्य
निर्णय दिनांक 11.08.2026

1

न्यायालय-अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 03, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी - पवन कुमार काला
(District Judge Cadre)

आपराधिक अपील संख्या - 01/2021
CNR NO. RJBW010000132021

सीताराम पुत्र छोगालाल कुमावत, निवासी लेबर कॉलोनी, सब्जी मण्डी, प्रतापनगर, भीलवाडा,
मालिक मैसर्स जयबजरंग मिष्ठान भण्डार, प्रतापनगर, भीलवाडा।

-अपीलार्थी

बनाम
राजस्थान राज्य

-प्रत्यर्थी

आपराधिक अपील विरुद्ध निर्णय व दण्डादेश दिनांक
8.12.2020 द्वारा श्रीमती अभिलाषा शर्मा विद्वान मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाडा, जो आपराधिक नियमित
प्रकरण संख्या 650/2011 उनवानी राजस्थान राज्य
बनाम सीताराम में पारित किया गया।

उपस्थिति-

1. श्री ओमप्रकाश देवानी, विद्वान अधिवक्ता - अपीलार्थी की ओर से
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक, राजस्थान राज्य की ओर से

निर्णय

दिनांक 11.08.2026

01 अपीलार्थी द्वारा यह अपील श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय,
भीलवाडा के समक्ष दिनांक 02.01.2021 को प्रस्तुत की गई, जो अंतरित होकर इस
न्यायालय को प्राप्त हुई।

02 विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाडा (जिसे आगे विद्वान विचारण
न्यायालय के नाम से संबोधित किया गया है) द्वारा आपराधिक नियमित प्रकरण संख्या
650/2011 उनवानी राजस्थान राज्य बनाम सीताराम में पारित निर्णय व दण्डादेश
दिनांक 8.12.2020, जिसके द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी को धारा 7/16 खाद्य पदार्थ
अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर 06
माह के साधारण कारावास तथा 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया और अदम
अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताये जाने
का आदेश पारित किया गया, से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

तथ्यात्मक स्थिति-

03 अपील में उद्धृत होने वाले तथ्य इस प्रकार हैं, कि परिवादी देवेन्द्र सिंह
राणावत, खाद्य निरीक्षक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का परिवाद पेश



किया गया, कि उसे राज्य सरकार द्वारा खाद्य निरीक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है। भीलवाडा उसके कार्यक्षेत्र में आता है। दिनांक 31.05.2011 को 12.20 PM जय बजरंग मिष्ठान भण्डार प्रतापनगर पर पहुँच कर अपना परिचय दिया। जहाँ अभियुक्त मिठाई, नमकीन, दूध, दही विक्रय कर रहा था। पूछने पर अपना नाम सीताराम बताया। मांगने पर उक्त खाद्य पदार्थ विक्रय करने का अनुज्ञा पत्र दिखाया। दुकान का निरीक्षण करने पर फ्रीज में एक स्टील की परात में करीब 8 किलोग्राम दही पाया गया। जिसे अभियुक्त ने टोण्ड दूध से निर्मित होना जाहिर किया। उक्त दही को विक्रेता द्वारा ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा था। जिसमें मिलावट का संदेह होने पर नमूना लेने की सूचना फार्म नम्बर 06 पर लिखित में मौके पर दी तथा दही को चार कट लगाकर एक कट को साफ स्टील के जग में लेकर तुलवाकर 600 ग्राम क्रय किया। जिसका नगद भुगतान 24 रुपये दुकानदार को किया। खरीदशुदा दही मिलाकर तीन साफ सुखी शीशियों में बराबर-बराबर भरा। हर शीशी में फार्मेलीन की 16-16 बूंदे डाली गई। शीशियों पर निर्धारित लेबल लगाकर शीशियों को रेपिंग पेपर में लपेटकर तथा एल.एच.ए. कोड अंकित किये। नमूना के एक सीलबंद भाग को फार्म नम्बर 07 के साथ आउटर कवर में सीलबंद करके जन विश्लेषक, अजमेर को जाँच हेतु भेजा। नमूने के शेष दो भाग एल.एच.ए. भीलवाडा को जमा कराये गये। जन विश्लेषक, अजमेर ने अपनी जाँच रिपोर्ट संख्या LS/388/Act/2011/395 दिनांक 05.06.2011 के द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ दही को मिलावटी घोषित किया गया। इस प्रकार अभियुक्त सीताराम द्वारा खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7(1)(A)(II) का उल्लंघन कर इस अधिनियम की धारा 16 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया इत्यादि।

04 उक्त परिवाद दर्ज होने के पश्चात् दिनांक 13.11.2017 को प्रकरण की अन्वीक्षा वारण्ट ट्रायल आधार पर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। प्री-चार्ज साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू-01 देवेन्द्र सिंह व पी.डब्ल्यू-02 रामकुमार, पी.डब्ल्यू. 3 गोविन्द सिंह, पी.डब्ल्यू. 4 रमेश सामरिया व पी.डब्ल्यू. 5 रामेश्वर के बयान लेखबद्ध किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-01 से प्रदर्श पी-23 को प्रदर्शित कराया गया। तदुपरांत बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 7/16 खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

05 अभियोजन साक्ष्य के दौरान गवाहान पी.डब्ल्यू-01 देवेन्द्र सिंह,



पी.डब्ल्यू-04 रमेश चन्द्र सामरिया के बयान लेखबद्ध करवाये अन्य गवाहान को पुनः परीक्षित नहीं करवाना चाहा।

06 अभियुक्त की धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षा करने पर अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना कथन किया ओर साक्ष्य सफाई में स्वयं को डी.डब्ल्यू. 1 के रूप में परीक्षित करवाया। तत्पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बहस अंतिम सुनी जाकर आक्षेपित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 08.12.2020 पारित किया गया।

07 बहस के दौरान अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा, कि दही अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा विक्रय के लिए नहीं रखा गया था। स्वयं के उपयोग के लिए रखा था। लिये गये दही के नमूना को एफ.एस.एल. में देरी से भेजा गया है। उनका यह भी तर्क रहा कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत एफ.एस.एल. रिपोर्ट की सूचना 10 दिन के भीतर अभियुक्त को देनी होती है, परन्तु प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है, कि उक्त सूचना/नोटिस अपीलार्थी/अभियुक्त को प्राप्त हुई हो। ऐसे में अभियुक्त के केन्द्रीय प्रयोगशाला से दही के सैम्पल की जाँच कराने के अधिकार का हनन हुआ। सैम्पल लेते वक्त खाद्य निरीक्षक द्वारा किन्हीं स्वतंत्र साक्षियों की मौजूदगी में भी सैम्पल नहीं लिये गये। प्रकरण में ऐसी भी कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, कि अभियुक्त दही बेचने का व्यवसाय करता हो। अभियोजन स्वीकृति जारी करने की एक प्रक्रिया है, जिसकी पालना भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नहीं की गई है। अभियोजन स्वीकृति जारी करते समय खाद्य निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन कर मस्तिष्क का प्रयोग कर स्वीकृति जारी करनी होती है, परन्तु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अपनी साक्ष्य में इस बात को स्वीकार किया है, कि जो दस्तावेज खाद्य निरीक्षक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, उन पर "Seen" उसके द्वारा नहीं लिखा जाकर खाद्य निरीक्षक द्वारा लिखा गया था। ऐसे में स्पष्ट है, कि अभियोजन स्वीकृति जारी करते समय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं कर सरसरी दृष्टि से स्वीकृति जारी की है, जो कि विधि की दृष्टि से स्वीकृति की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त समस्त तथ्यों को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विचार में नहीं लेकर अभियुक्त की दोषसिद्धि की है, जो विधि अनुसार नहीं होकर अपास्त किये जाने योग्य है।

09 इसके विपरीत विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने तर्क दिया, कि विद्वान



विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश विधि अनुरूप है। इसलिये निर्णय व दण्डादेश सम्पुष्ट फरमाया जावे।

विचारणीय बिन्दु:-

10 बहस के तर्कों पर गौर किया गया। वर्तमान अपील के निस्तारण के लिये न्यायालय को यह देखना है, कि-

"क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 08.12.2020 पत्रावली पर आई साक्ष्य का तथ्य एवं विधि अनुसार मूल्यांकन कर पारित किया गया है अथवा उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है? "

विनिश्चय:-

11 इस क्रम में गवाह पी.डब्ल्यू-02 देवेन्द्रसिंह ने स्वयं को राज्य सरकार की अधिसूचना प्रदर्श पी-1 के माध्यम से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1955 के तहत खाद्य निरीक्षक नियुक्त होना, प्रदर्श पी 3 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-03) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.04.2009 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के अधीन समस्त जिले में क्षेत्राधिकार दिया जाना, प्रदर्श पी-2 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन खाद्य निरीक्षक को शक्तियाँ प्रदान किया जाना कथन किया। उक्त दस्तावेजात से उक्त गवाह का खाद्य निरीक्षक के तौर पर भीलवाडा में कार्य करने हेतु अधिकृत होना प्रकट होता है। गवाह द्वारा दिनांक 31.05.2011 को 12.20 पी.एम पर अभियुक्त के मिष्ठान भण्डार से परात में रखे दही में से 600 ग्राम दही लिया जाना, उसकी कीमत चुकाई जाना, फॉर्म नम्बर 06 भरकर अभियुक्त को दिया जाना, सैम्पल को तीन सूखी शीशियों में बराबर भरकर फॉर्मेलिन की बून्दें डालकर मौके पर समस्त विधि अनुसार कार्यवाही कर एक सैम्पल जन विश्लेषक प्रयोगशाला, अजमेर को जाँच हेतु भेजे जाने व 02 नमूने स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी, भीलवाडा को जमा कराये जाने की साक्ष्य दी गई। साथ ही इस संबंध में फॉर्म नम्बर 06 प्रदर्श पी-05, दही क्रय करने की रसीद प्रदर्श पी-06, मौका पंचनामा प्रदर्श पी-07, फॉर्म नम्बर 07 प्रदर्श पी-08 आदि के संबंध में भी साक्ष्य दी गई। मौके पर अभियुक्त के कब्जे से सैम्पल लिये जाने के संबंध में पी.डब्ल्यू-02 रामकुमार द्वारा भी साक्ष्य दी गई।

12 प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी-08 पी.डब्ल्यू. 18 डॉ. रमेश चन्द्र सामरिया द्वारा जारी की गई है। उन्होंने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया, उसने प्रदर्श



पी. 18 पर यह नहीं लिखा है कि स्वविवेक से मस्तिष्क का उपयोग कर दी गई है। जो दस्तावेज खाद्य निरीक्षक द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, उन पर "Seen" शब्द लिखा हुआ नहीं है। सक्षम अधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी करते समय उसके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों का समग्र अवलोकन कर स्वस्थ मस्तिष्क का उपयोग कर जारी की जानी चाहिए। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा State of Rajasthan vs. Laxminarain & Ors., Cr. Appeal No. 513/1993 { 2014(3) Cr.L.R. (Raj.) 1194 में माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यह सुस्थापित विधि है कि अभियोजन स्वीकृति दिये जाते समय सक्षम प्राधिकारी को उसके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों पर मस्तिष्क का प्रयोग करके स्वीकृति जारी करनी चाहिए।

14 परन्तु वर्तमान प्रकरण में स्वयं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के बयानों से स्पष्ट है, कि उसने इन दस्तावेजों का समग्रता से मस्तिष्क का उपयोग कर अवलोकन नहीं किया। ऐसे में स्वयं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की साक्ष्य से यह तथ्य साबित नहीं होता है, कि प्रदर्श पी-18 अभियोजन स्वीकृति उसने स्वस्थ मस्तिष्क का उपयोग कर जारी की है। ऐसे में न्यायालय के मत में अभियोजन स्वीकृति भी विधि अनुसार जारी की हुई होना प्रकट नहीं होती है।

15 अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 13(2) अभियुक्त को एक महत्वपूर्ण अधिकार के हनन का तर्क दिया। उक्त प्रावधान अभियुक्त को महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है, जिसके अनुसार –

13. Report of public analyst.— (1) The public analyst shall deliver, in such form as may be prescribed, a report to the Local (Health) Authority of the result of the analysis of any article of food submitted to him for analysis. —3[(1) The public analyst shall deliver, in such form as may be prescribed, a report to the Local (Health) Authority of the result of the analysis of any article of food submitted to him for analysis."

(2) On receipt of the report of the result of the analysis under sub-section (1) to the effect that the article of food is adulterated, the Local (Health) Authority shall, after the institution of prosecution against the persons from whom the sample of the article of food was taken and the person, if any, whose name, address and other particulars have been disclosed under section 14A, forward, in such manner as may be prescribed, a copy of the report of the result of the analysis to such person or persons, as the case



may be, informing such person or persons that if it is so desired, either or both of them may make an application to the court within a period of ten days from the date of receipt of the copy of the report to get the sample of the article of food kept by the Local (Health) Authority analysed by the Central Food Laboratory.

(2A) When an application is made to the court under sub-section (2), the court shall require the Local (Health) Authority to forward the part or parts of the sample kept by the said Authority and upon such requisition being made, the said Authority shall forward the part or parts of the sample to the court within a period of five days from the date of receipt of such requisition.

(2B) On receipt of the part or parts of the sample from the Local (Health) Authority under sub-section (2A), the court shall first ascertain that the mark and seal or fastening as provided in clause (b) of sub-section (1) of section 11 are intact and the signature or thumb impression, as the case may be, is not tampered with, and despatch the part or, as the case may be, one of the parts of the sample under its own seal to the Director of the Central Food Laboratory who shall thereupon send a certificate to the court in the prescribed form within one month from the date of receipt of the part of the sample specifying the result of the analysis.

(2C) Where two parts of the sample have been sent to the court and only one part of the sample has been sent by the court to the Director of the Central Food Laboratory under sub-section (2B), the court shall, as soon as practicable, return the remaining part to the Local (Health) Authority and that Authority shall destroy that part after the certificate from the Director of the Central Food Laboratory has been received by the court: Provided that where the part of the sample sent by the court to the Director of the Central Food Laboratory is lost or damaged, the court shall require the Local (Health) Authority to forward the part of the sample, if any, retained by it to the court and on receipt thereof, the court shall proceed in the manner provided in sub-section (2B).

(2D) Until the receipt of the certificate of the result of the analysis from the Director of the Central Food Laboratory, the court shall not continue with the proceedings pending before it in relation to the prosecution.

(2E) If, after considering the report, if any, of the food inspector or otherwise, the Local (Health)



Authority is of the opinion that the report delivered by the public analyst under sub-section (1) is erroneous, the said Authority shall forward one of the parts of the sample kept by it to any other public analyst for analysis and if the report of the result of the analysis of that part of the sample by that other public analyst is to the effect that the article of food is adulterated, the provisions of sub-sections (2) to (2D) shall, so far as may be, apply.]

(3) The certificate issued by the Director of the Central Food Laboratory ⁵⁴ [under sub-section (2B)] shall supersede the report given by the public analyst under sub-section (1).

(4) Where a certificate obtained from the Director of the Central Food Laboratory under sub-section (2B) is produced in any proceeding under this Act, or under sections 272 to 276 of the Indian Penal Code (45 of 1860), it shall not be necessary in such proceeding to produce any part of the sample of food taken for analysis.

(5) Any document purporting to be a report signed by a public analyst, unless it has been superseded under sub-section (3), or any document purporting to be a certificate signed by the Director of the Central Food Laboratory, may be used as evidence of the facts stated therein in any proceeding under this Act or under sections 272 to 276 of the Indian Penal Code (45 of 1860): Provided that any document purporting to be a certificate signed by the Director of the Central Food Laboratory [not being a certificate with respect to the analysis of the part of the sample of any article of food referred to in the proviso to sub-section (1A) of section 16] shall be final and conclusive evidence of the facts stated therein. Explanation.—In this section, and in clause (f) of sub-section (I) of section 16, “Director of the Central Food Laboratory” shall include the officer for the time being in charge of any Food Laboratory (by whatever designation he is known) recognised by the Central Government for the purposes of this section.

धारा 13 की उपधारा 2 के अनुसार सैंपल के अपमिश्रित पाये जाने की सूचना विहित प्रारूप में उस व्यक्ति को देनी होती है, जिससे सेम्पल लिया गया है। इस संबंध में खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 के नियम 9 बी का प्रावधान आकर्षित होता है। जिसके अनुसार-

[9-B] Local (Health) Authority to send report to person concerned.-The Local (Health) Authority shall



[within a period of ten days after the institution of prosecution forward a copy of the report of the result of analysis in Form III delivered to him under sub-rule (3) of rule 7, by registered post or by hand, as may be appropriate, to the person from whom the sample of article was taken by the Food Inspector and] simultaneously also to the person, if any, whose name, address and other particulars has been disclosed under Sec. 14-A of the Act:

17 उक्त नियम के अनुसार जहाँ अभियुक्त के कब्जे से लिया गया सैम्पल राज्य जन विश्लेषक प्रयोगशाला में अपमिश्रित पाया जाता है, वहाँ परिवाद पेश करने के पश्चात् 10 दिवस के भीतर उसकी सूचना अभियुक्त को देनी होती है। वर्तमान प्रकरण में परिवाद दिनांक 18.07.2011 को पेश करने के पश्चात् दिनांक 01.08.2011 को नोटिस प्रदर्श पी-21 अभियुक्त/अपीलार्थी को दिया जाना बताया गया है, जिसके संबंध में डाक रसीद प्रदर्श पी-22 व पी.23 प्रस्तुत की गई। जिससे स्पष्ट है कि प्रदर्श पी-21 दिनांक 02.08.2011 को रजिस्टर्ड डाक से अभियुक्त/अपीलार्थी को भेजी गई है।

18 जहाँ तक धारा 13(2) के अधिकार का प्रश्न है, अभियुक्त को यह अधिकार परिवाद पेश करने की दिनांक से 10 दिवस के पश्चात दिया गया है। इसलिए धारा 13(2) की सम्यक रूप से अभियोजन द्वारा पालना किया जाना नहीं माना जा सकता है।

19 यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जनविश्लेषक की रिपोर्ट प्रदर्श पी. 14 के अनुसार लिये गये दही का नमूना समस्त मानकों पर सही पाया गया है। किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं पाई गई है। केवल उसमें मिल्क फैट की मात्रा स्वीकृत मात्रा कम से कम 3% के स्थान पर 2.17% पाई गई है। जो कि दूध पर निर्भर करती है। दूध में फेट की मात्रा दुधारु पशु की नस्ल, उसके खानपान, क्षेत्र, जलवायु आदि के आधार पर भिन्न होता है। ऐसे में केवल फैट कम होना मेरे विनम्र न्यायिक मत में मिलावट की श्रेणी में नहीं आता है।

20 ऊपर किये गये विवेचन के अनुसार न केवल अभियुक्त के केन्द्रीय प्रयोगशाला से सैम्पल की जांच करवाने का अधिकार विहित समयावधि में मिला है वरन सैम्पल में किसी प्रकार की मिलावट अभियुक्त द्वारा किया जाना प्रमाणित नहीं है, फैट कम होना प्रकृतिजन्य कारणों पर आधारित है।



निष्कर्ष:

21 अतः मेरे विनम्र न्यायिक मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध करने में साक्ष्य का मूल्यांकन करने में त्रुटि की है। अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्ति संदेह से परे अपराध को साबित करने में असफल रहा है। इसलिये प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 8.12.2020 अपास्त किये जाने योग्य है।

आ दे श

22 फलस्वरूप सीताराम पुत्र छोगालाल कुमावत, निवासी लेबर कॉलोनी, सब्जी मण्डी, प्रतापनगर, भीलवाडा, मालिक मैसर्स जयबजरंग मिष्ठान भण्डार, प्रतापनगर, भीलवाडा द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक दिनांक 8.12.2020 अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 16 सहपठित धारा 07 खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अपीलार्थी/अभियुक्त के अपील के दौरान प्रस्तुत जमानत-मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

23 अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 437A दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आदेशित किया जाता है, कि वह इस आशय का स्वयं का 25,000 रुपये का बंध पत्र व इतनी ही राशि की एक प्रतिभूति पेश कर प्रमाणित करावे, कि अपील के निर्णय/दण्डादेश के विरुद्ध अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय का नोटिस प्राप्त होने पर वह अपीलीय न्यायालय में उपस्थित हो जायेगा।

24 निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय की पत्रावली विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जावे।

(पवन कुमार काला)
अपर सेशन न्यायाधीश सं. 03
भीलवाडा

25 निर्णय आज दिनांक 11.08.2026 को मेरे द्वारा अपने लेपटोप पर टंकित किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पवन कुमार काला)
अपर सेशन न्यायाधीश सं. 03
भीलवाडा